झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–48 वर्ष 2017

1. उपेन्द्र गिरी, पे0 श्री राज किशोर गिरी
2. राज किशोर गिरी, पे0 स्वर्गीय बी0 गिरी

दोनों निवासी–क्वार्टर नं0 एस0के0 1/183, सिंदरी, डाकघर–सिंदरी, थाना–सिंदरी, जिला–धनबाद .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्तागण के लिए :– श्री विकाश कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्री विजय शंकर प्रसाद, ए0पी0पी0।

02/03.04.2017 याचिकाकताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री विकाश कुमार और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0 श्री विजय शंकर प्रसाद को सुना।

यह आवेदन विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा जी0आर0 वाद संख्या 4154/2015 के अनुरूप, सिंदरी थाना काण्ड संख्या 51/2015 में दिनांक 08.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध निदेशित है जिसके द्वारा और जिसके तहत याचियों द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जम्मू–कश्मीर में कुछ कार्यों के पूरा किए जाने के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था और सूचक को साझेदारी

में काम करने की पेशकश की गई थी। यह आरोप लगाया गया है कि एक संयुक्त खाता खोला जाएगा और लेनदेन संयुक्त खाते के माध्यम से किया जाएगा और सूचक को 40 प्रतिशत लाभ दिया जाएगा। आगे आरोप लगाया गया है कि सात महीने बीतने के बावजूद संयुक्त खाता कभी नहीं खोला गया और न ही 1,45,000/– रूपये की राशि सूचक को वापस की गई। यह भी आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2008 में जब वह झारसुगुड़ा में काम कर रहे थे तो उन्होनें याचिकाकर्ताओं से मुलाकात की थी और जम्मू–कश्मीर में किए गए कार्यों का विवरण मांगा था और उनके द्वारा यह खुलासा किया गया था कि जैसे ही बिल पास हो जाएगा, पैसा वापस कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त आरोप के आधार पर सिंदरी थाना काण्ड संख्या 51/2015 संस्थित किया गया था। जांच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत हुई, जिसके अनुसरण में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा 08 नवंबर, 2016 को संज्ञान लिया गया था। याचियों द्वारा इस आरोप के उन्मोचन के लिए एक आवेदन पेश किया गया था कि इस तरह की देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण दिए बिना देर से प्राथमिकी स्थापित की गई थी और यह कि याचियों के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है।

दिनांक 08.11.2016 के आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि केस डायरी के सुनिश्चित पैराग्राफों का उल्लेख कथित अपराध के मामले में याचियों की मिलीभगत के संबंध में गवाहों द्वारा किए गए बयानों पर कोई ध्यान दिए बिना किया गया है। इसलिए, आक्षेपित आदेश, जैसा कि अभिकथित है, अपराधों के लिए याचियों को आरोप मुक्त करने से इनकार करने के किसी भी न्यायोचित या ठोस कारण का खुलासा नहीं करता है।

उचित कारणों के अभाव में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा दिनांक 08.11.2016 को सिंदरी थाना काण्ड संख्या 51/2015 से उद्भूत जी0आर0 संख्या 4154/2015 में पारित आक्षेपित आदेश, एतद्द्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है और मामले को विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद को वापस भेज दिया जाता है, ताकि इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित किया जा सके।

इस आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)